सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 23, मंगलवार, शाके 1944-मार्च 14, 2023

Phalguna 23, Tuesday , Saka 1944- March 14, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2023

संख्या प.5(01)**चिस्वा/ग्रुप-**3/2022 :-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006** व विनियम **2011** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006** (34 of 2006) की धारा **37**(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रषिक्षण प्राप्त विभागीय कर्मचारियों को, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष तक की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 (34 of 2006)** की धारा **38** मे निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैः-

क्रमं सं**0**	विभागीय कर्मचारी का नाम	मूल पद
1-	Sh. Kesri Nandan Sharma	Sr LT
2-	Sh. Lokesh Sharma	Sr. Radiographer
3-	Sh. Nirmal kumar maharshi	LT
4-	Sh. Sandeep Kumar	Pharmacist
5-	Sh. Mukesh Kumar Vaishnav	LT
6-	Sh. Prakash Chand Saini	LT
7-	Sh. Narendra Singh	LT
8-	Sh. Rohit Kumar Sharma	LT
9-	Sh. Hemant Kumar Yadav	Radiographer
10-	Sh. Kishna Ram karwasra	LT
11-	Sh. Rajesh Kumar Nagar	LT
12-	Sh. Ramesh Chand Yadav	STA
13-	Sh. Subhash Rajora	LT
14-	Sh. Suresh Kumar Mali	LT
15-	Sh. Mahesh Kumar Saini	Pharmacist
16-	Sh. Hanwant Singh	Pharmacist
17-	Sh. Jagdish Prasad Saini	Pharmacist
18-	Sh. Rajendra Singh	LT
19-	Sh. Het Ram	Sr. Nursing Officer
20-	Sh. Naman Kumar	LT
21-	Sh. Ganpat ram jat	Sr. Nursing Officer
22-	Sh. Babu lal	Nursing Officer
23-	Sh. Ghanshyam Singh Solankey	Sr. Radiographer
24-	Sh. Mohmad Gulhasan	LT

25-	Dr. Rajesh Kumar Sharma	LT
26-	Sh. Roshan Lal Yadav	TA
27-	Sh. Lalu ram Yadav	Sr. LT
28-	Sh. Narayan Singh	LT
29-	Sh. Suresh Chandra Sharma	LT
30-	Sh. Rasik Bihari Vyas	Sr. LT
31-	Sh. Ashok Kumar Yadav	LT
32-	Sh. Sharvan Kumar verma	Sr. Nursing Officer
33-	Sh. Nitesh Gautam	LT

उक्त समस्त विभागीय कर्मचारी द्वारा निम्न शर्तो के अध्याधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित करेंगें।

1. खाद्य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने का अधिकार पूर्णतया राज्य सरकार का होगा अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benifit) के हकदार नहीं होंगें।
2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद के वेतनमान पर ही राज्य कार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगति का लाभ देय नही होगा।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से नियमित नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध होने के पश्चात उपरोक्त कर्मचारियों को अपने मूल पद पर भेज दिया जावेगा।
4 उक्त कर्मचारियों के स्थानीय कार्यक्षेत्र आवंटन के आदेष पृथक से जारी किये जावेंगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।